न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 02/2020

1. श्री सत्तुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राज,)

..अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत गोविन्दगढ जरिये सरपंच / सचिव तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. श्री अमरसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह
3. श्री इन्द्रसिहं पुत्र श्री मोहनसिंह
4. श्री जब्बरसिह पुत्र श्री मोहनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी गाविन्दगढ तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1697 दिनांक 10.01.2019 जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया

उपस्थित :– श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह श्री पुष्पेन्द्र सोनी – अभिभाषक अपीलाण्ट

–: निर्णय :– दिनांक 27.07.2020

संक्षिप्त में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ पंचायत समिति पीसागंन के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1697 दिनांक 10.01.2019 को पारित किया गया का प्रत्यर्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम गोविन्दगढ की आराजी खसरा संख्या 1765 रकबा 1.19 हे. में से अपना अपने भाईयों के नाम हकत्याग किया जिसके अनुसार प्रार्थी , उनके एक भाई रतनसिंह एंव उनकी माताजी ने हकतर्कनामा/रीलीजडीड अपने भाईयों अमरसिंह, इन्द्रसिंह व जब्बरसिंह के पक्ष में दिनांक 13.03.2018 को किया गया । उक्त हकतर्कनामा में खसरा संख्या 1765 का हिस्सा ही रिलीज किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त हकत्याग का नामान्तरण करते समय खसरा संख्या 1765 के साथ 1764 रकबा 0.03 गै.मु. चाह का भी नामान्तरण रेस्पोडेण्टस के पक्ष में कर दिया । जबकि अपीलाण्ट द्वारा खसरा संख्या 1764 को आज दिवस तक उपयोग उपभोग कर रहा है। जब रेस्पोडेण्टस ने दिनांक 20.06.2020 को उस चाह का उपयोग करने से अपीलाण्ट को मना कर दिया तो अपीलाण्ट को जरिये राजस्व रेकार्ड नकल के जानकारी हुयी कि खसरा संख्या 1764 का भी नामान्तरण कर दिया गया। अतः उक्त नामान्तकरण विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तगी है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्टस ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपील स्वीकार होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार की जाती है ग्राम पंचायत गोविन्दगढ द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1697 दिनांक 10.01.2019 काबिल निरस्त होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी का रिलीजडीड दिनांक 13.03.2018 को किया गया जिसे तहसीलदार पीसागंन के कार्यालय में दिनांक 16.03.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 22 के पृष्ठ संख्या 125 में कम संख्या 2018003350101017 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 87 के पृष्ठ संख्या 193 से 200 पर चस्पा किया गया के अनुसार नामांतकरण खोला जावे। आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अविलम्ब अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested